बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
अधिसूचना

अधि0सं0– निग/सारा–04 (पथ) मुक०–46/2019 4391(S) /पटना, दिनांक 25/6/24

श्री राज किशोर प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, हाजीपुर को हाजीपुर–लालगंज–वैशाली पथ के कि०मी० 23 से कि०मी० 33 में पैच पॉट एवं विभिन्न अंशों में Raising का कार्य एकरारनामा के शर्तों के अनुरूप नहीं कराने, गलत रूप में कार्यों के भुगतान का प्रयास करने तथा उच्चाधिकारियों के आदेश के बावजूद कार्य में रूचि नहीं लेने एवं सकारात्मक प्रयास नहीं करने जैसे गम्भीर आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–13250(एस)–सह–पठित ज्ञापांक–13251(एस) दिनांक–17.11.2009 द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया।

2. उक्त आरोपों के आधार पर आरोप प्रपत्र–'क' गठित कर विभागीय पत्रांक–15489(एस) अनु० दिनांक–30.12.2009 द्वारा श्री प्रसाद से बचाव बयान की मांग की गयी। श्री प्रसाद द्वारा समर्पित बचाव बयान की समीक्षा एवं सम्यक् विचारोपरान्त उनको विभागीय अधिसूचना संख्या–4823(एस)–सह–पठित ज्ञापांक–4824(एस) दिनांक–01.04.2010 के द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलंबन मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध "निन्दन (आरोप वर्ष 2009–10)" एवं "तीन वेतन वृद्धियों पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक" का दंड संसूचित किया गया।

3. तत्पश्चात् श्री प्रसाद के निलंबन अवधि को विभागीय अधिसूचना संख्या–8599(एस)–सह–पठित ज्ञापांक–8600(एस) दिनांक–08.06.2010 के द्वारा "निलंबन अवधि में देय जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, परन्तु अन्य प्रयोजनार्थ इसे कर्त्तव्य अवधि मानी जायेगी" के रूप में विनियमित किया गया।

4. उक्त संसूचित दंड के विरूद्ध श्री प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी पत्रांक–शून्य दिनांक–22.04.2010 समर्पित किया गया, जिसे सम्यक् विचारोपरान्त विभागीय अधिसूचना संख्या–8601(एस)–सह–पठित ज्ञापांक–8602(एस) दिनांक–08.06.2010 के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

5. विभागीय अधिसूचना संख्या–4823(एस)–सह–पठित ज्ञापांक–4824(एस) दिनांक–01.04.2010 के द्वारा संसूचित दंड सहित निलंबन अवधि के विनियमन से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या–8599(एस)–सह–पठित ज्ञापांक–8600(एस) दिनांक–08.06.2010 एवं पुनर्विलोकन अर्जी निरस्तीकरण से संबंधित अधिसूचना संख्या–8601(एस)–सह–पठित ज्ञापांक–8602(एस) दिनांक–08.06.2010 को निरस्त किये जाने हेतु श्री प्रसाद के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No.-812/2011 (राज किशोर प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) दायर किया गया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना के दिनांक–20.09.2016 को पारित आदेश द्वारा प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण कंडिका–05 में वर्णित दंडादेश सहित सभी विभागीय अधिसूचनाओं को इस विकल्प के साथ निरस्त कर दिया गया कि अनुशासनिक प्राधिकार चाहें तो नियमानुसार पुनः नये सिरे से अनुशासनिक कार्रवाई कर सकते हैं।

6. उक्त पारित न्यायादेश के विरूद्ध विभाग द्वारा दायर LPA No.-1408/2017 विभिन्न तकनीकी कारणों से खारिज हो जाने के पश्चात् CWJC No.-812/2012 में दिनांक–20.09.2026 को पारित न्यायादेश का अनुपालन करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या–1518(एस)–सह–पठित ज्ञापांक–1519 (एस) दिनांक–16.03.2023 द्वारा कंडिका–05 में वर्णित दंडादेश सहित सभी विभागीय अधिसूचनाओं को निरस्त कर दिया गया तथा न्यायादेश में वर्णित विकल्प के आलोक में यह भी निर्णय लिया गया कि श्री प्रसाद के विरूद्ध आलोच्य मामले में नये सिरे से आरोप पत्र गठित कर अलग से कार्रवाई की जायेगी।

7. उक्त लिये गये निर्णय के अनुरूप नये सिरे से आरोप पत्र गठित करते हुए श्री प्रसाद से विभागीय पत्रांक–1557(एस) अनु० दिनांक–17.03.2023 द्वारा स्पष्टीकरा की मांग की गयी। श्री प्रसाद

द्वारा अपना स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित किया गया, जिसकी विभागीय समीक्षोपरांत उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1025(एस) दिनांक–10.02.2025 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी। संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन में श्री प्रसाद के विरूद्ध गठित आरोपों को अप्रमाणित पाये जाने का निष्कर्ष दिया गया। तदोपरान्त उक्त जाँच प्रतिवेदन पर विभागीय तकनीकी समिति का मंतव्य प्राप्त किया गया एवं प्राप्त मंतव्य के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या–2815(एस)–सह–पठित ज्ञापांक–2816(एस) दिनांक–21.04.2026 द्वारा श्री राज किशोर प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, हाजीपुर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, जयनगर को आरोप मुक्त कर दिया गया।

8. माननीय न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में श्री प्रसाद के विरूद्ध नये सिरे से की गयी अनुशासनिक कार्रवाई में अंतिम रूप से निर्णय लिये जाने के पश्चात् आलोच्य मामले में उनके निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–11(3)(4) में निहित प्रावधान के आलोक में श्री प्रसाद के दिनांक–17.11.2009 से दिनांक–31.03.2010 तक के निलंबन अवधि को पूर्ण वेतन एवं भत्ते सहित सभी प्रयोजनार्थ कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है, बशर्त्ते कि निलंबन अवधि के दौरान श्री प्रसाद को भुगतान किये जा चूके जीवन निर्वाह भत्ता एवं अन्य भत्तों का समायोजन करते हुए वेतनादि का भुगतान किया जायेगा।

9. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–04 (पथ) मुक०–46/2019 **/पटना, दिनांक..........................**

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–04 (पथ) मुक०–46/2019 **/पटना, दिनांक..................**

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी०डी० के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा– आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना)।

अनु0–यथोक्त।

ह०/–
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–04 (पथ) मुक०–46/2019 **/पटना, दिनांक..........................**

प्रतिलिपि :– सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, सारण पथ अंचल, हाजीपुर/उप सचिव (प्र०को०) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता, वैशाली पथ प्रमंडल, हाजीपुर/उप सचिव (प्रभारी प्रशाखा–13/14), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (मु०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, लेखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी,

प्रशाखा–1/2/6/13/14, एवं लेखा शाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना तथा **श्री राज किशोर प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, हाजीपुर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, जयनगर** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–04 (पथ) मुक०–46/2019 4392 पटना, दिनांक 25/6/26

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

25/6/26
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

25.06.26